कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/70/2025

श्री बनवारी लाल गुप्ता निवासी नदिया मौहल्ला, गुलाबी बाबू की गली भरतपुर
मो. नं. 9413836204

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट,भरतपुर
...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 08.10.2025

अपीलार्थी श्री बनवारी लाल गुप्ता निवासी नदिया मौहल्ला, गुलाबी बाबू की गली भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। चाही गई सूचना का प्रकरण सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट से सम्बन्धित होने से, इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/849 दिनांक 26.09.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक सतर्कता/सू.का.अ./2025/4081 दिनांक 03.10.2025 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपने आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से 5 बिन्दूओं पर सूचना चाही गई थी, इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब दिनांक 03.10.2025 का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावलियॉ/रिकार्ड कार्यालय के पत्रांक

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

सतर्कता / 07 / 946 दिनांक 26.09.2007 से जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट भरतपुर में जमा कराया जा चुका है। इसलिए कार्यालय के पत्रांक सतर्कता / सू.का.अ. / 2025 / 3024 दिनांक 31.07.2025 से प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार भरतपुर को अन्तरित किया जाकर कार्यालय के पत्रांक 3025 दिनांक 31.07.2025 से प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के उक्त जबाब से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला अभिलेखागार से सम्बन्धित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक सतर्कता / सू.का.अ. / 2025 / 3024 दिनांक 31.07.2025 से सम्बन्धित प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर को मूल प्रार्थना पत्र आर.टी.आई. 2005 की धारा 6(3) के तहत अग्रेषित किया जा चुका है। इससे जाहिर है कि चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के स्तर पर लम्बित ना होकर प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट भरतपुर के स्तर पर लम्बित है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी / अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना अन्दर 15 दिवस उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित हो, साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट, भरतपुर को एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलैक्ट्रेट भरतपुर को पालानार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर